

# FORM NO. III

2021  
288

फर्द अहकाम  
(नियम-26)

अज अवालत ..... सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा ..... नियम  
 ..... श्याम वृन्नापूर कोतवाल को ..... बलाम  
 किरम मुकदमा ..... 75210 ..... नं. 3 सन् 2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इतिशियत्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की सामील में जारी हुए
------------	-----------------------------------	--

4-8-21

अपील अपीलेशनट की ओर से यह अपील पत्र वकील श्री  
 देवी डी प्रेन्ना -  
 ने अन्तर्गत धारा 75 आर.एल.आर. को पेश किया। जिस पर  
 कार्यालय रिपोर्ट प्राप्त की कार्यालय रिपोर्ट का अवलोकन  
 किया।- अपील पत्र रजिस्टर हो, रेस्पोजेन्ट को अपील पत्र  
 के सम्मन मय अपील पत्र की प्रति के जारी हो पत्रावली  
 वारसे तामिल/जवाबदावा दिनांक 31-8-21 को  
 पेश हो।

सहायक कलेक्टर  
(S.D.O.) बालोतरा


31/8/21

पत्रावली आज पेश हुई। S.D.O. साहब  
 प्रशासनिक अपीलेशनट से पत्रावली  
 दिनांक 20/9/21 को पेश हो।

21-9-21

अपीलेशनट को अपीलेशनट के  
 वकील उषा शर्मा मय पेश कर  
 पत्रावली बलब कराने व राजीनामा  
 पेश कर पत्रावली जल्ले के उद्देश्य


सहायक कलेक्टर  
(S.D.O.) बालोतरा



कराने का निवेदन किया गया।  
कंपीलाह के वकील को सुनाया  
कंपीलाह के रेस्पॉन्डेंट के मध्य  
राजीनामा को जाने के लिए  
कंपीलाह को आगे नहीं चलाना  
चाहती है। इसलिए कंपीलाह

को कंपीलाह को खारिज कराने  
का निवेदन किया गया।

कंपीलाह के द्वारा प्रस्तुत  
जर्माना पत्र को स्वीकार कर  
अपील को जरूरी राजीनामा के  
विचार इसी स्टेज पर खारिज  
की जाती है। पश्चवती में हल  
बुकार केवल नमक है कक ले

  
उप सचिव अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा